

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-37/12-13

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46i(b)

23/3/13

आदेश  
 विक्रेता का नाम एवं पता - श्रीमती भारती देवी पति-स्व० दुर्गा प्रसाद महतो  
 ग्राम-मार्चाडीह पोस्ट-एडरमहातु थाना-सोनाहातु  
 जिला-राँची।  
 क्रेता का नाम एवं पता- श्री पिताम्बर महतो पिता-श्री अधनू महतो  
 ग्राम-कुडियामु पोस्ट-दानाडीह थाना-सोनाहातु  
 जिला-राँची।  
 विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27/07/12 को क्रेता श्री पिताम्बर महतो पिता-श्री अधनू महतो ग्राम-कुडियामु पोस्ट-दानाडीह थाना-सोनाहातु जिला-राँची के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मार्चाडीह	27	104	195	1.14 मध्ये 0.28 ए०
		58	461	0.58 मध्ये 0.14 1/2 ए०
		89	277	1.81 मध्ये 0.45 ए०
		43	279	0.17 मध्ये 0.04 ए०
			281	0.32 मध्ये 0.08 ए०
			171	0.26 मध्ये 0.06 1/2 ए०
			172	0.73 मध्ये 0.18 ए०
		10	249	0.14 मध्ये 0.03 1/2 ए०
			443	1.32 मध्ये 0.33 ए०
			457	1.51 मध्ये 0.02 1/2 ए०

कुल योग- 1.63 एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक-115(II) दिनांक-31/01/13 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। ( अभिलेख के साथ संलग्न ) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम मानसिंह महतो वगैरह दर्ज है।
- उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 20.55 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।
- आवेदक को अपने ईलाज एवं मकान बनवाने के लिए पैसों की आवश्यकता है इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।
- दोनों क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी(कुर्मी) जाति के सदस्य है, एवं एक ही जिला राँची के निवासी हैं।



उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46i(b) के तहत विक्रेता श्रीमती भारती देवी पति-स्व० दुर्गा प्रसाद महतो ग्राम-मार्चाडीह पोस्ट-एडरमहातु थाना-सोनाहातु जिला-राँची को क्रेता श्री पिताम्बर महतो पिता-श्री अधनू महतो ग्राम-कुडियामु पोस्ट-दानाडीह थाना-सोनाहातु जिला-राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।


न्यायालय के द्वारा दिनांक-27/07/12 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।


पुनः दिनांक-07/02/13 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा अपने ईलाज एवं मकान बनवाने हेतु किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता श्रीमती भारती देवी पति-स्व० दुर्गा प्रसाद महतो ग्राम-मार्चाडीह थाना-सोनाहातु जिला-राँची को क्रेता श्री पिताम्बर महतो पिता-श्री अधनू महतो ग्राम-कुडियामु पोस्ट-दानाडीह थाना-सोनाहातु जिला-राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46i(b) के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

		भूमि का वितरण		
मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
मार्चाडीह	27	104	195	1.14 मध्ये 0.28 ए०
		58	461	0.58 मध्ये 0.14 1/2 ए०
		89	277	1.81 मध्ये 0.45 ए०
		43	279	0.17 मध्ये 0.04 ए०
			281	0.32 मध्ये 0.08 ए०
			171	0.26 मध्ये 0.06 1/2 ए०
			172	0.73 मध्ये 0.18 ए०
		10	249	0.14 मध्ये 0.03 1/2 ए०
			443	1.32 मध्ये 0.33 ए०
			457	1.51 मध्ये 0.02 1/2 ए०
		कुल योग-		

लेखापित एवं संशोधित

  
23/3/13  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू राँची।

  
23/3/13  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बुण्डू राँची।